

## कार्यवृत्त नीलामी

दीवानी न्यायालय परिसर सहारनपुर में स्थित प्रतिष्ठानों तथा बाह्य न्यायालय देवबन्द परिसर स्थित विभिन्न प्रतिष्ठानों की नीलामी के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक संख्या-558 / Admin (B-I) Section दिनांकित 01.09.2025 के अनुपालन में तथा वित्तीय वर्ष-2025-2026 की शेष बची अवधि 06 माह की नीलामी के सम्बन्ध में माननीय जिला न्यायाधीश महोदय की अनुमति दिनांक 05.09.2025 के पश्चात न्यायापीठ सहारनपुर में स्थित विभिन्न प्रतिष्ठानों (कैन्टीन-नाश्ता चाय आदि, साईकिल स्टैंड, फोटोस्टेट दुकान नं0-01, फोटोस्टेट दुकान नं0-2, पान की दुकान नं0-01, पान की दुकान नं0-02 व एक रेहड़ी दाल मौठ) की नीलामी वित्तीय वर्ष-2024-2025 हेतु नीलामी समिति की बैठक आज दिनांक 15.09.2025 को सांय 01:30 बजे मेरे विश्राम कक्ष में सम्पन्न हुई, जिसमें श्री कमलदीप सदस्य नीलामी समिति / अपर जिला जज / त्वरित न्यायालय-द्वितीय सहारनपुर तथा श्री संजीव कुमार शर्मा सदस्य नीलामी समिति / कोर्ट मैनेजर सहारनपुर उपस्थित आये।

बैठक में सर्वप्रथम वित्तीय वर्ष-2025-2026 के शेष बचे माह (06 माह) हेतु न्यायपीठ सहारनपुर के उपरोक्त सात प्रतिष्ठानों:- चाय कैन्टीन, साईकिल स्टैंड, फोटोस्टेट दुकान नं0-01, फोटोस्टेट दुकान नं0-02, पान की दुकान नं0-01, पान की दुकान नं0-02 तथा रेहड़ी दाल मौठ की 06 माह हेतु न्यूनतम जमानत धनराशि निर्धारित की गयी, जो निम्न प्रकार है :-

| क्र.सं | प्रतिष्ठान का नाम      | ठेके की जमानत धनराशि  |
|--------|------------------------|-----------------------|
| 1.     | चाय कैन्टीन            | अंकन 1,00,000/- रुपये |
| 2.     | साईकिल स्टैंड          | अंकन 1,00,000/- रुपये |
| 3.     | फोटोस्टेट दुकान नं0-01 | अंकन 1,00,000/- रुपये |
| 4.     | फोटोस्टेट दुकान नं0-02 | अंकन 1,00,000/- रुपये |
| 5.     | पान की दुकान नं0-01    | अंकन 30,000/- रुपये   |
| 6.     | पान की दुकान नं0-01    | अंकन 30,000/- रुपये   |
| 7.     | रेहड़ी दाल मौठ         | अंकन 30,000/- रुपये   |

प्रत्येक बोलीदाता को बोली देने से पूर्व ठेके की जमानत धनराशि जमा करानी होगी, जो बोलीदाता के पक्ष में बोली स्वीकार होने पर ठेके में समायोजित कर दी जायेगी, तथा अन्य बोलीदाताओं की जमानत धनराशि वापस कर दी जायेगी।

इस न्यायपीठ में स्थित विभिन्न प्रतिष्ठानों की बोली के सम्बन्ध में नियम व शर्तों पर विचार-विमर्श किया गया तथा नियम व शर्तें निर्धारित की गयीं। केन्द्रीय नाजिर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त सम्बन्ध में नियम व शर्तों का माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन कराने के उपरान्त इनके व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु सार्वजनिक सूचना न्यायपीठ के नोटिस बोर्ड व कलेक्ट्रेट में स्थित नोटिस बोर्ड एवं अन्य दृश्यमान स्थानों पर चस्पा करायें तथा वह उपरोक्त प्रतिष्ठानों के ठेकों की नीलामी न्यूनतम आरक्षित धनराशि का उल्लेख नीलामी नोटिस में ना करें तथा उपरोक्त से सम्बन्धित सूचना एक राष्ट्रीय व तीन स्थानीय समाचार-पत्रों में प्रकाशन करायें एवं जिला न्यायालय सहारनपुर के पोर्टल तथा माननीय उच्च न्यायालय की अधिकृत वेबसाइट पर भी नीलामी तिथि व विवरण अपलोड करायें।

नीलामी की तिथि ए.डी.आर. भवन में दिनांक 24.09.2025 समय सांय 04:30 बजे नियत की जाती है।

(संजीव कुमार शर्मा)  
सदस्य नीलामी समिति/  
कोर्ट मैनेजर  
सहारनपुर।

(कमलदीप)  
सदस्य नीलामी समिति/  
अपर जिला जज/त्वरित न्यायालय-II  
सहारनपुर।

(आलोक शर्मा)  
सदस्य नीलामी समिति /  
अपर जिला जज कक्ष संख्या-11  
सहारनपुर।

(प्रकाश तिवारी)  
अध्यक्ष नीलामी समिति/  
अपर जिला जज कक्ष संख्या-04  
सहारनपुर।

Approved  
DISTT. JUDGE  
SAHARANPUR  
15-9-2025



## नियम व शर्तें

दीवानी न्यायालय परिसर सहारनपुर में स्थित विभिन्न प्रतिष्ठानों (चाय कैन्टीन, फोटोस्टेट दुकान नं0-01, फोटोस्टेट दुकान नं0-02, साईकिल स्टैन्ड, पान की दुकान नं0-01, पान की दुकान नं0-02, एवं रेहड़ी दाल मौठ) को टैन्डर के माध्यम से उठाये जाने हेतु वित्तीय वर्ष-2025-2026 की शेष बची अवधि (06 माह) के सम्बन्ध में नियम एवं शर्तें निर्धारित की गयी हैं, जिनका अनुपालन ठेकेदारों द्वारा किया जाना आवश्यक है। ऐसा न करने की स्थिति में ठेका तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा और ठेके की सम्पूर्ण धनराशि उससे वसूल कर ली जायेगी।

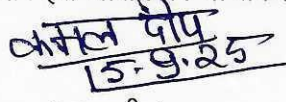
1. वित्तीय वर्ष-2025-26 की शेष बची अवधि (06 माह) के लिए जनपद न्यायालय सहारनपुर परिसर में स्थित विभिन्न प्रतिष्ठानों हेतु खुली बोली के आधार पर आनुपातिक न्यूनतम मूल्य उपरोक्त वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के सापेक्ष में आनुपातिक होगी।
2. बोलीदाता / ठेकेदार की किसी गलती के कारण ठेका निरस्त होने की स्थिति में राज्य सरकार को होने वाली राजस्व की क्षतिपूर्ति ठेकाधारक को करनी होगी।
3. बोलीदाता / ठेकेदार को सम्पूर्ण ठेके की धनराशि के बराबर का अपने अचल सम्पत्ति का विवरण मय शपथ-पत्र, हैसियत प्रमाण-पत्र तथा चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा यह अन्डरटेकिंग भी प्रस्तुत करना होगा कि ठेके की उक्त अवधि में उक्त सम्पत्ति किसी को अंतरित नहीं करेगा, अवशेष लाईसेन्स फीस की वसूली उसकी उक्त सम्पत्ति से की जा सकेगी।
4. ठेकेदार द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि करने पर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को अधिकार होगा कि वे बिना कारण बताये ठेका समाप्त कर सकते हैं और ठेके की सम्पूर्ण धनराशि अनुबन्धित ठेकेदार से वसूल कर सकते हैं।
5. बोलीदाताओं द्वारा बोली देते समय दोनों पान की दुकान एवं रेहड़ी दाल मौठ के लिए अंकन 30,000/- (तीस हजार) रुपये तथा चाय कैन्टीन, साईकिल स्टैन्ड एवं दोनों फोटोस्टेट दुकान के लिए अंकन 1,00,000/- (एक लाख) रुपये प्रतिभू धनराशि के रूप में जमा करने होंगे तथा कार्यवाही समाप्त होने के उपरान्त जिन बोलीदाताओं के नाम ठेका नहीं छूटेगा, उनकी प्रतिभू धनराशि के रूप में जमा धनराशि को तुरन्त वापस कर दिया जायेगा।
6. समस्त बोलीदाताओं को अपनी हैसियत आदि से सम्बन्धित सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे।
7. ठेकेदार को उपलब्ध कराये गये स्थान पर ही अपना कार्य करना होगा। इसके अतिरिक्त न्यायालय परिसर में किसी अन्य स्थान पर ठेकेदारों द्वारा अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण नहीं किया जायेगा।
8. अनुबन्धित ठेकेदार द्वारा कार, स्कूटर, साईकिल इत्यादि के लिए ली जाने वाली धनराशि माननीय जनपद न्यायाधीश सहारनपुर द्वारा अनुमोदित करायी जायेगी।
9. ठेकों के स्थान के लिए किसी प्रकार का कोई टैक्स या बिल या आयकर आदि-यदि देय होता है तो वह ठेकेदार द्वारा स्वयं वहन करना होगा तथा ठेकों के स्थान को साफ सुथरा रखा जायेगा।
10. ठेकेदार के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को ठेका नहीं दिया जायेगा और न ही किराये पर उठाया जायेगा। इस जगह का किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जायेगा।
11. ठेकेदारी के समय यदि कोई वाहन चोरी होता है या पेट्रोल चोरी होता है या क्षतिग्रस्त होता है तो इसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
12. ठेके की अवधि समाप्त होने पर ठेकेदार द्वारा ठेके के स्थान को शान्तिपूर्ण ढंग से तथा पूर्व स्थिति में खाली कर दिया जायेगा।



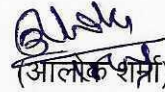
13. ठेका प्राप्त करने वाले ठेकेदार को ठेके की 25 प्रतिशत धनराशि एकमुश्त ठेका छूटने के एक सप्ताह के अन्दर जमा करनी होगी, अन्यथा ठेका स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा और अग्रिम जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
14. जिन बोलीदाताओं का ठेका स्वीकार किया जायेगा उन बोलीदाताओं की अग्रिम धनराशि को प्रतिभू के रूप में जमा रखा जायेगा। ठेके की नियम एवं शर्तों का उल्लंघन अथवा अन्य किसी भी तरह का नुकसान करने पर प्रतिभू धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा।
15. ठेके की प्रतिमाह की देय किश्त माह की प्रत्येक 07 तारीख तक जमा करानी होगी। कोई भी त्रुटि होने पर उसके विरुद्ध बकाया धनराशि की वसूली किश्त की अदायगी की दिनांक से जमा करने की दिनांक तक 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ भू-राजस्व की तरह वसूल की जायेगी।
16. न्यायालय परिसर में स्थित पान की दुकानों पर बीड़ी, सिगरेट, एवं गुटका बेचना प्रतिबन्धित होगा।
17. विद्युत व्यवस्था हेतु ठेकेदार बिजली का कनेक्शन लेगा या विद्युत सबमीटर लगवायेगा एवं निर्धारित दरों से सब-मीटर में आयी रिडिंग का भुगतान करेगा। सब-मीटर की व्यवस्था ठेकेदार स्वयं अपने खर्चे से करायेगा एवं यदि न्यायिक प्रतिष्ठान से विद्युत व्यवस्था चाहता है तो उसके लिए आवेदन करेगा और सब-मीटर लगाने के बाद ही विद्युत का उपभोग कर सकेगा। उल्लंघन की दशा में विद्युत कनेक्शन काट दिया जायेगा। पुनः कनेक्शन लगाने की अनुमति नहीं होगी।
18. ठेकेदार वाहनो की वसूली नगर निगम द्वारा निर्धारित दर से वसूल करेगा एवं उसकी सूची नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेगा।
19. समस्त ठेकेदार अपने-अपने क्षेत्रों में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखेंगे व कूड़ेदान आदि की व्यवस्था अपने खर्चे पर करेंगे।
20. ठेकेदार इस आशय का भी शपथ-पत्र देगा कि वह पूर्व में डिफाल्टर नहीं है।



(संजीव कुमार शर्मा)  
सदस्य नीलाम समिति/  
कोर्ट मैनेजर  
सहारनपुर।



(कमलदीप)  
सदस्य नीलाम समिति/  
अपर जिला जज/त्वरित न्यायालय-II  
सहारनपुर।



(आलोक शर्मा)  
सदस्य नीलाम समिति /  
अपर जिला जज कक्ष संख्या-11  
सहारनपुर।



(प्रकाश तिवारी)  
अध्यक्ष नीलाम समिति/  
अपर जिला जज कक्ष संख्या-04  
सहारनपुर।

  
DISTT. JUDGE  
SAHARANPUR  
15-9-2025



प्रेषक,

प्रकाश तिवारी  
अध्यक्ष/सदस्य नीलाम समिति /  
अपर जिला जज कक्ष संख्या-11  
सहारनपुर।

प्रेषित,

जिला सूचना अधिकारी  
सहारनपुर।

पत्रांक- 256/XVCN/2025

दिनांक- 16-09-2025

विषय: न्यायापीठ सहारनपुर व बाह्य न्यायालय देवबन्द स्थित विभिन्न प्रतिष्ठानों की वित्तीय वर्ष-  
2025-2026 की शेष बची अवधि (06 माह) हेतु ठेके की नीलामी की विज्ञप्ति के प्रकाशन के  
सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक-558/Admin(B-I)Section Allahabad दिनांकित 01.09.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से न्यायपीठ सहारनपुर स्थित 07 प्रतिष्ठान तथा बाह्य न्यायालय देवबन्द स्थित 02 प्रतिष्ठानों, कुल 09 प्रतिष्ठानों की नीलामी के सम्बन्ध में न्यूनतम आरक्षित बोली निर्धारित करते हुए शासनादेश संख्या-562/19-दो-2007-1007/74(टी.सी.) दिनांकित 04.07.2007 के अनुक्रम में नीलामी विज्ञप्ति का निःशुल्क प्रकाशन आपके कार्यालय के माध्यम से कराये जाने हेतु आदेशित किया गया।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भ में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष-2025-2026 की शेष बची अवधि (06 माह) हेतु जिला न्यायालय सहारनपुर परिसर स्थित 1- चाय कैन्टीन, 2- साईकिल स्टैन्ड, 3- दो फोटोस्टेट दुकान, 4- दो पान की दुकान व 5- रेहड़ी दाल मौठ कुल 07 प्रतिष्ठानों तथा बाह्य न्यायालय देवबन्द स्थित 1- साईकिल स्टैन्ड व 2- चाय कैन्टीन के ठेके की नीलामी की विज्ञप्ति शासनादेश संख्या-562/19-दो-2007-1007/74(टी.सी.) दिनांकित 04.07.2007 के आलोक में आपके कार्यालय के माध्यम से कराया जाना अपेक्षित है। इस पत्र के माध्यम से वित्तीय वर्ष-2025-2026 की शेष बची अवधि (06 माह) हेतु जनपद न्यायालय परिसर सहारनपुर व बाह्य न्यायालय परिसर समस्त 09 प्रतिष्ठानों के ठेके की नीलामी की विज्ञप्ति प्रकाशनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

अस्तु, शासनादेश संख्या-562/19-दो-2007-1007/74(टी.सी.) सूचना अनुभाग-2 लखनऊ दिनांकित 04.07.2007 के परिपेक्ष्य में आपसे अपेक्षा की जाती है कि संलग्न नोटिस का निःशुल्क प्रकाशन नियमानुसार राष्ट्रीय दैनिक समाचार-पत्र व स्थानीय समाचार-पत्रों (कम से कम तीन सर्वाधिक परिचालित) में करवाकर उसकी प्रति तथा जनपद सहारनपुर के राजकीय पोर्टल पर अपलोड करवाकर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय  
(प्रकाश तिवारी)

अध्यक्ष / सदस्य नीलाम समिति/  
अपर जिला जज कक्ष संख्या-11  
सहारनपुर।

प्रतिलिपि- जिलाधिकारी सहारनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

अध्यक्ष / सदस्य नीलाम समिति  
अपर जिला जज कक्ष संख्या-11  
सहारनपुर।

प्रेषक,

प्रकाश तिवारी  
अध्यक्ष नीलाम समिति /  
अपर जिला जज कक्ष संख्या-04  
सहारनपुर ।

प्रेषित,

जिला सूचना अधिकारी  
सहारनपुर ।

पत्रांक- 256/XVCN/2025

दिनांक- 16-09-2025

विषय: न्यायापीठ सहारनपुर व बाह्य न्यायालय देवबन्द स्थित विभिन्न प्रतिष्ठानों की वित्तीय वर्ष-  
2025-2026 की शेष बची अवधि (06 माह) हेतु ठेके की नीलामी की विज्ञप्ति के प्रकाशन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक-558/Admin(B-I)Section Allahabad दिनांकित 01.09.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से न्यायापीठ सहारनपुर स्थित 07 प्रतिष्ठान तथा बाह्य न्यायालय देवबन्द स्थित 02 प्रतिष्ठानों, कुल 09 प्रतिष्ठानों की नीलामी के सम्बन्ध में न्यूनतम आरक्षित बोली निर्धारित करते हुए शासनादेश संख्या-562/19-दो-2007-1007/74(टी.सी.) दिनांकित 04.07.2007 के अनुक्रम में नीलामी विज्ञप्ति का निःशुल्क प्रकाशन आपके कार्यालय के माध्यम से कराये जाने हेतु आदेशित किया गया ।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भ में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष-2025-2026 की शेष बची अवधि (06 माह) हेतु जिला न्यायालय सहारनपुर परिसर स्थित 1- चाय कैन्टीन, 2- साईकिल स्टैंड, 3- दो फोटोस्टेट दुकान , 4- दो पान की दुकान व 5- रेहड़ी दाल मौठ कुल 07 प्रतिष्ठानों तथा बाह्य न्यायालय देवबन्द स्थित 1- साईकिल स्टैंड व 2- चाय कैन्टीन के ठेके की नीलामी की विज्ञप्ति शासनादेश संख्या-562/19-दो-2007-1007/74(टी.सी.) दिनांकित 04.07.2007 के आलोक में आपके कार्यालय के माध्यम से कराया जाना अपेक्षित है । इस पत्र के माध्यम से वित्तीय वर्ष-2025-2026 की शेष बची अवधि (06 माह) हेतु जनपद न्यायालय परिसर सहारनपुर व बाह्य न्यायालय परिसर स्थित समस्त 09 प्रतिष्ठानों के ठेके की नीलामी की विज्ञप्ति प्रकाशनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है ।

अस्तु, शासनादेश संख्या-562/19-दो-2007-1007/74(टी.सी.) सूचना अनुभाग-2 लखनऊ दिनांकित 04.07.2007 के परिपेक्ष्य में आपसे अपेक्षा की जाती है कि संलग्न नोटिस का निःशुल्क प्रकाशन नियमानुसार राष्ट्रीय दैनिक समाचार-पत्र व स्थानीय समाचार-पत्रों (कम से कम तीन सर्वाधिक परिचालित) में करवाकर उसकी प्रति तथा जनपद सहारनपुर के राजकीय पोर्टल पर अपलोड करवाकर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें ।

संलग्नक- यथोक्त ।

भवदीय

(प्रकाश तिवारी)  
अध्यक्ष नीलाम समिति/  
अपर जिला जज कक्ष संख्या-04  
सहारनपुर ।

प्रतिलिपि- जिलाधिकारी सहारनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित ।

अध्यक्ष नीलाम समिति  
अपर जिला जज कक्ष संख्या-04  
सहारनपुर ।



प्रेषक,

प्रकाश तिवारी  
अध्यक्ष नीलामी समिति /  
अपर जिला जज कक्ष संख्या-04  
सहारनपुर ।

प्रेषित,

निदेशक,  
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,  
उत्तर प्रदेश  
लखनऊ ।

पत्रांक- 257/XVCN/2025

दिनांक- 16-09-2025

विषय: न्यायापीठ सहारनपुर स्थित विभिन्न प्रतिष्ठानों की वित्तीय वर्ष-2025-2026 की शेष बची की अवधि (06 माह) के ठेके नीलामी की विज्ञप्ति के प्रकाशन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक-558/Admin(B-I)Section Allahabad दिनांकित 01.09.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से न्यायपीठ सहारनपुर स्थित 07 प्रतिष्ठानों की नीलामी के सम्बन्ध में न्यूनतम आरक्षित बोली निर्धारित करते हुए शासनादेश संख्या-562/19-दो-2007-1007/74(टी.सी.) दिनांकित 04.07.2007 के अनुक्रम में नीलामी विज्ञप्ति का निःशुल्क प्रकाशन आपके कार्यालय के माध्यम से कराये जाने हेतु आदेशित किया गया ।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भ में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष-2025-2026 की शेष बची अवधि (06 माह) हेतु जिला न्यायालय सहारनपुर परिसर स्थित 1- चाय कैन्टीन, 2- साईकिल स्टैन्ड, 3- दो फोटोस्टेट दुकान , 4- दो पान की दुकान व 5- रेहड़ी दाल मौठ इस प्रकार कुल 07 प्रतिष्ठानों के ठेके की नीलामी की विज्ञप्ति शासनादेश संख्या-562/19-दो-2007-1007/74(टी.सी.) दिनांकित 04.07.2007 के आलोक में आपके कार्यालय के माध्यम से कराया जाना अपेक्षित है । इस पत्र के माध्यम से वित्तीय वर्ष-2025-2026 की अवधि शेष बची अवधि (06 माह) हेतु जनपद न्यायालय परिसर सहारनपुर स्थित समस्त 07 प्रतिष्ठानों के ठेके की नीलामी की विज्ञप्ति प्रकाशनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है ।

अस्तु, शासनादेश संख्या-562/19-दो-2007-1007/74(टी.सी.) सूचना अनुभाग-2 लखनऊ दिनांकित 04.07.2007 के परिपेक्ष्य में आपसे अपेक्षा की जाती है कि संलग्न नोटिस का निःशुल्क प्रकाशन नियमानुसार एक राष्ट्रीय दैनिक समाचार-पत्र व स्थानीय समाचार-पत्रों (कम से कम तीन सर्वाधिक परिचालित) में करवाकर उसकी प्रति अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें ।

संलग्नक- यथोक्त ।

भवदीय  
(प्रकाश तिवारी)

अध्यक्ष, नीलामी समिति /  
अपर जिला जज कक्ष संख्या-04  
सहारनपुर ।

## प्रेस विज्ञप्ति

दीवानी न्यायालय परिसर सहारनपुर में स्थित विभिन्न प्रतिष्ठानों-एक कैन्टीन (नाश्ता चाय आदि), साईकिल स्टैंड, फोटोस्टेट दुकान नं0-01, फोटोस्टेट दुकान नं0-2, पान की दुकान नं0-01, पान की दुकान नं0-02 व एक रेहड़ी दाल मौठ की वित्तीय वर्ष-2025-2026 की शेष बची अवधि (06 माह) हेतु नीलामी कार्यावाही दिनांक 24.09.2025 समय सांय 04:30 बजे न्यायालय परिसर स्थित ए.डी.आर. भवन में की जायेगी। इच्छुक बोलीदाता नीलामी के नियम व शर्तें, स्थान तथा बोली के समय आदि के सम्बन्ध में नज़ारत अनुभाग, सहारनपुर से कार्यालय समय पर तथा न्यायालय के सूचना पट से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

  
(प्रकाश तिवारी)

अध्यक्ष, नीलामी समिति /

अपर जिला जज कक्ष संख्या-04

सहारनपुर।

# सार्वजनिक सूचना

दीवानी न्यायालय परिसर सहारनपुर में स्थित विभिन्न प्रतिष्ठानों-एक कैन्टीन (नाश्ता चाय आदि), साईकिल स्टैंड, फोटोस्टेट दुकान नं0-01, फोटोस्टेट दुकान नं0-2, पान की दुकान नं0-01, पान की दुकान नं0-02 व एक रेहड़ी दाल मौठ की वित्तीय वर्ष-2025-2026 की शेष बची अवधि (06 माह) हेतु नीलामी कार्यावाही दिनांक 24.09.2025 समय सांय 04:30 बजे न्यायालय परिसर स्थित ए.डी.आर. भवन में की जायेगी। इच्छुक बोलीदाता नीलामी के नियम व शर्तें, स्थान तथा बोली के समय आदि के सम्बन्ध में नज़ारत अनुभाग, सहारनपुर से कार्यालय समय पर तथा न्यायालय के सूचना पट से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

  
(प्रकाश तिवारी)

अध्यक्ष, नीलामी समिति /

अपर जिला जज कक्ष संख्या-04

सहारनपुर।



प्रेषक,

प्रकाश तिवारी  
अध्यक्ष नीलाम समिति /  
अपर जिला जज कक्ष संख्या-04  
सहारनपुर।

प्रेषित,

ओ.एस.डी. (कम्प्यूटर)  
माननीय उच्च न्यायालय  
इलाहाबाद।

**विषय:** माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर विज्ञप्ति अपलोड कराये जाने के सम्बन्ध में।  
महोदय,

अवगत कराना है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्रांक-558/Admin(B-I)Section Allahabad दिनांकित 01.09.2025 के अनुपालन में गठित समिति द्वारा न्यायपीठ सहारनपुर के विभिन्न प्रतिष्ठानों की वित्तीय वर्ष-2025-2026 की शेष बची अवधि (06 माह) हेतु नीलामी हेतु न्यूनतम बोली के आधार पर आनुपातिक मूल्य निर्धारित किये जाने के पश्चात आज दिनांक 06.09.2025 को सांय 04:30 बजे न्यायालय परिसर स्थित ए.डी.आर. भवन में न्यायपीठ सहारनपुर में स्थित विभिन्न प्रतिष्ठानों: चाय कैन्टीन, साईकिल स्टैंड, फोटोस्टेट दुकान नं0-01, फोटोस्टेट दुकान नं0-02, पान की दुकान नं0-01, पान की दुकान नं0-2 तथा रेहड़ी दाल मौठ के सम्बन्ध में कार्यवाही की गयी। उक्त के अनुक्रम में नीलामी समिति की उक्त के अनुक्रम में नीलामी समिति की अग्रिम तिथि दिनांक 24.09.2025 को समय 04:30 बजे न्यायालय परिसर सहारनपुर के ए.डी.आर. भवन में नियत की जाती है।

अतः इस सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि संलग्न विज्ञप्ति को माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर प्रकाशित कराये जाने का कष्ट करें।

सादर।

भवदीय  
(प्रकाश तिवारी)

अध्यक्ष नीलामी समिति /  
अपर जिला जज कक्ष संख्या-04  
सहारनपुर।